(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2022

बउनवान

रश्मी कुमारी पत्नि सचिन मेहता जाति किराड निवासी सेमली फाटक तहसील शाहबाद
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक निदेशक महिला अधिकारिता बारॉ
(रेस्पोडेन्ट)

प्रथम अपील साथिन के पद ग्राम पंचायत सेमली फाटक, पंचायत समिति शाहबाद

उपस्थित :– 1– अनुपस्थित (अपीलांट)
2– सहायक निदेशक महिला (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 24.06.2022

अपीलांट द्वारा स्वयं उपस्थित होकर ग्राम पंचायत सेमली फाटक, पंचायत समिति, शाहबाद जिला बारॉ द्वारा साथिन के पद पर नियुक्ति मे अनियमितता करने पर विरूद्व सहायक निदेशक महिला अधिकारिता बारॉ के इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 04.05.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन कमांक 921 दिनांक 08.06.2022 के संलग्न प्रथम अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया। इस पर सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बारॉ के पत्रांक 319 दिनांक 08.06.2022 से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि अपीलांट का मुख्य कथन है कि वह ग्राम पंचायत सेमली फाटक पंचायत समिति, शाहबाद जिला बारॉ की रहने वाली है जिसने एम.ए., बी.एड. तक [illegible] कर रखी है। प्रार्थिया द्वारा ग्राम पंचायत सेमली फाटक मे साथिन [illegible] था लेकिन ग्राम पंचायत सेमली फाटक द्वारा किसी अन्य महिला जिसकी योग्यता कम है उसका चयन नियम विरूद्व तरीके से कर लिया गया है जबकि प्रार्थीया उक्त पद की सम्पूर्ण पात्रता रखती है, उसके बाद भी प्रार्थीया का चयन नही किया गया। इस प्रकार साथिन के पद पर नियुक्ति/चयन प्रकिया मे भारी अनियमितता बरती गई है। उक्त प्रकरण की जांच करवाई जाकर प्रार्थीया को योग्यतानुसार उक्त पद पर नियुक्ति दिलवाये जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता बारॉ द्वारा पत्रांक 319 दिनांक 08.06.2022 से अवगत करवाया गया कि विभागीय नियमानुसार साथिन चयन प्रकरणों मे नियमानुसार चयन नही होने पर परिपत्रानुसार प्रथम अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारॉ को प्रस्तुत की जानी होती है। उक्त प्रकरण मे आवेदक श्रीमती रश्मी कुमारी पत्नि श्री सचिन मेहता द्वारा इस कार्यालय के साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारॉ को भी प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2022 को प्रस्तुत किया गया था। जिसके क्रम मे साथिन चयन परिपत्र क्रमांक 22430/05.07.2017 के बिन्दु संख्या 2 के उप बिन्दु (सी) के अनुसरण मे विभागीय नियमानुसार प्रथम अपील मे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारॉ द्वारा निर्णय क्रमांक 1628–31 दिनांक 07.06.2022 दिया गया है। उक्त निर्णय अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारॉ द्वारा ग्रामसभा कार्यवाही को गलत मानते हुये आवेदक श्रीमती रश्मी कुमारी पत्नि श्री सचिन मेहता के चयन को सही बताया गया है एवं ग्रामसभा से पुनः अनुशंषा प्राप्त करने को निर्देशित किया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा दिनांक 04.05.2022 को इस कार्यालय मे एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारॉ के कार्यालय में एक हीं प्रकरण की 2 जगह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारॉ द्वारा उनके द्वारा पारित निर्णय क्रमांक/जि.प./पंचायत/2022–23/1628–31 दिनांक 07.06.2022 निर्णित कर दिये जाने से अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **24.06.2022** को सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested